न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 01/2022

दायर दिनांकः 12.01.2022

निर्णय दिनांक 07.03.2022

—:अनवानः—

1. श्री किशनलाल पिता नारायण लाल जी जाति कुमावत आयु 48 वर्ष, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री मनमोहन पिता श्री नन्दलाल जी, जाति सनाढय, आयु 42 वर्ष, निवासी गुर्जरपुरा, उपला पायसा, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

———अपीलांट्स

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द **———रेस्पोडेण्ट**

अपील विरूद्ध पुनर्विलोकित नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 13.12.2021 निर्णित द्वारा तहसीलदार, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द

उपस्थितः—

1— श्री जगदीश पुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडण्ट

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम गुडली, पटवार हल्का कांकरोली, तहसील राजसमन्द में स्थित वर्तमान आराजी संख्या 172 रकबा 0.3237 किस्म नहरी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 24.11.2021 को खातेदरान से क्रय की गयी। तभी से अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य होकर उपसोग उपभोग कर रहे हैं, उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 02.12.2021 के जरिये अपीलाण्ट्स को प्राप्त हुई। उक्त वर्णित भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 13.12.2021 को एक आदेश कानून से परे जाकर मनमाने तरीके से एक तरफा बिना अपीलाण्ट्स को सूने जारी कर अपीलाण्ट्स का नाम उपरोक्त भूमि में से विलोपित करने का आदेश पारित किया गया। जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना नही की गई। अपीलाण्ट्स को बिना सुने ही नामान्तरकरण फैसल किया गया हैं और आदेश पारित किया गया है जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह अपील प्रस्तुत की हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम गुडली, पटवार हल्का कांकरोली, तहसील राजसमन्द में स्थित वर्तमान आराजी संख्या 172 रकबा 0.3237 किस्म नहरी भूमि को जरिये

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 24.11.2021 को खातेदारान से क्रय की गयी। तभी से अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं, उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 02.12.2021 के जरिये अपीलाण्ट्स को प्राप्त हुई। उक्त वर्णित भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा दिनांक 13.12.2021 को एक आदेश कानून से परे जाकर मनमाने तरीके से एक तरफा बिना अपीलाण्ट्स को सूने जारी कर अपीलाण्ट्स का नाम उपरोक्त भूमि में से विलोपित करने का आदेश पारित किया गया। जो विधि विरूद्ध है अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर उक्त नामान्तरण सं0 944 दिनांक 13.12.2021 को अपास्त फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस कथन में बताया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा नियमानुसार नामान्तरण संख्या 944 दिनांक 13.12.2021 का सोमोटो रिव्यू माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश के परिपेक्ष्य में किया गया है जो उचित हैं। अतः तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरण के संबंध में रिव्यू का जो आदेश किया गया हैं। वो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के तहत राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर अपने द्वारा अथवा अपने पद के पूर्व अधिकारीयो द्वारा दी गई किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी आज्ञाएँ दे सकेगा, के तहत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए उक्त प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण को नियमानुसार निस्तारित करें।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य सबूत के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जिला कलक्टर
राजसमन्द